

FORM NO -III

फर्द-अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी
कोगटा फाईनेसियल (इण्डिया)
लिमिटेड पंजीयकृत कार्यालय, ए
कोगटा हाउस आजाद मौहल्ला
बिजयनगर-305624, राजस्थान एवं
निगमित कार्यालय एस-1
गोपालबाडी अजमेर पुलिया के पास
में मैट्रा पिल्लर नं0 143 के सामने,
जयपुर राज0-302001 एवं जरिये
प्राधिकृत अधिकारी शक्तिसिंह

बनाम

अप्रार्थीगण
शम्भु कुमावत पुत्र नर्सो लाल पता-
290, बादला का बास, वार्ड नं. 6
कुचामन सिटी, कुचामन नागौर
राजस्थान-341508 वगैराह

किस्म मुकदमा -सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या 107 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.04.22	वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक 28/4/22 को पेश हो।	
28.4.22	वकील प्रार्थी उपरोक्त पत्रावली पेश करने के बाद प्रार्थी ने 28.4.22 को पेश हो।	
9/5/22	वकील प्रार्थी उपरोक्त पत्रावली पेश करने के बाद प्रार्थी ने 9/5/22 को पेश हो।	
16-5-22	वकील प्रार्थी श्री रामकिशोर सोनी उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री रामकिशोर सोनी ने इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है, का कथन करते हुए Not Press किया है। चूंकि प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है एवं प्रार्थना पत्र को Not Press करने के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 को खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Not Pressed
17/5/22

